न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक

(परशुराम धानका,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 31 / 2013
प्रविष्टि दिनांक 12.06.2013

सरकार जरिए तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक —प्रार्थी

बनाम

रामानन्द पुत्र श्रवण जाति माली निवारी गोलीपुरा तह. मालपुरा —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित—

1. राजकीय पेरोकार श्री मजहर आलम
2. श्री जितेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक अपार्थी

<u>अभिशंषा</u> **दिनांक 27.07.2022**

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार मालपुरा द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत किया है। संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार हैं कि खसरा नम्बर 419 रकबा 49 किस्म गैर मुमकिन नाला वाके ग्राम टोरडी राज्य सरकार के नाम भू प्रबन्ध के रिकॉर्ड / जमाबन्दी सम्वत् 2010 में गैर मुमकिन नाला दर्ज थी। उक्त भूमि में से 2.00 बीघा भूमि अवैधानिक रूप से आवंटन आदेश दिनांक 01.02.1983 श्री रमेश पुत्र चौथमल जाति राणा निवासी टोरडी को जरिये नामान्तकरण सं. 2240 से गैर खातेदारी हक कर आवंटित की गई। उक्त भूमि की खोतदारी जरिये नामान्तकरण सं. 3031 से दर्ज की गई। श्री रमेश पुत्र चौथमल जाति राणा निवासी टोरडी ने उक्त भूमि खसरा नम्बर 419 / 1 रकबा 2.00 बीघा को श्री रामानन्द पुत्र श्रवण जाति माली निवासी गोलीपुरा को नामा. सं. 3090 के नाम जरिये विकय पत्र से स्थानान्तरण कर दी गई हैं। उक्त भूमि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 में वर्णित है जो आवंटन योग्य भूमि नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि उक्त आवंटन की गई भूमि का आवंटन एवं नामान्तकरण सं. 2240,3031,3090 को निरस्त कराने हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी जरिए नोटिस विपक्षी की गई। बहस राजकीय अभिभाषक एंव अभिभाषक अप्रार्थीगण सुनी गई।

प्रकरण में राजकीय अभिभाषक एवं अभिभाषक अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एंव निवेदन किया कि खसरा नम्बर 419 रकबा 49 किस्म गैर मुमकिन नाला वाके ग्राम टोरडी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

राज्य सरकार के नाम भू प्रबन्ध के रिकॉर्ड/जमाबन्दी सम्वत् 2010 में गैर मुमकिन तालाब/नदी नाले आदि दर्ज थी। उक्त भूमि में से 2.00 बीघा भूमि अवैधानिक रूप से आवंटन आदेश दिनांक 01.02.1983 श्री रमेश पुत्र चौथमल जाति राणा निवासी टोरडी को जरिये नामान्तकरण सं. 2240 से गैर खातेदारी हक कर आवंटित की गई। उक्त भूमि की खोतदारी जरिये नामान्तकरण सं. 3031 से हुई। यह है कि श्री रमेश पुत्र चौथमल जाति राणा निवासी टोरडी ने उक्त भूमि खसरा नम्बर 41911 रकबा 2.00 को श्री रामानन्द पुत्र श्रवण जाति माली निवासी गोलीपुरा को नामा. सं. 3090 के नाम जरिये विक्रय पत्र से स्थानान्तकरण कर दी गई हैं। उक्त भूमि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 में वर्णित है जो आवंटन योग्य नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि उक्त आवंटन की गई भूमि का आवंटन एवं नामान्तकरण सं. 2240,3031,3090 को निरस्त कराने हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे और ना ही अपने पक्ष में कोई दस्तावेज पेश किए।

हमने राजकीय अभिभाषक बहस पर मनन किया एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों नकल जमाबन्दी 2066–69, नकल नामान्तकरण सं. 2240,3031,3090 व आवटन पत्रावली 1396 का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2010–2029 में साबिक खसरा नम्बर 419 रकबा 49 बीघा गैर मुमकिन नाला राजकीय भूमि दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर में से भू आवण्टन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 1–2–1983 को 2.00 बीघा किस्म गैर मुमकिन नाला की भूमि रमेश पुत्र चोथमल राणा निवासी ग्राम टोरडी तहसील मालपुरा के नाम आवण्टन किया गया है। उक्त भूमि की खोतदारी जरिये नामान्तकरण सं. 3031 से दर्ज की गई। श्री रमेश पुत्र चौथमल जाति राणा निवासी टोरडी ने उक्त भूमि खसरा नम्बर 419/1 रकबा 2.00 बीघा को श्री रामानन्द पुत्र श्रवण जाति माली निवासी गोलीपुरा को नामा. सं. 3090 के नाम जरिये विक्रय पत्र से स्थानान्तरण कर दी गई हैं। उक्त भूमि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 में वर्णित है जो आवंटन योग्य भूमि नहीं हैं। आवण्टन आदेश की अनुपालना में रमेश पुत्र चोथमल राणा को दिनांक 1–2–1983 को नामान्तरकरण सं0 2240 के द्वारा गैर खातेदारी एंव नामान्तरकरण सं0 3031 के द्वारा खातेदारी अधिकार दे दिये गये।

चूँकि विवादित उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड नकल खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2010–2029 में साबिक खसरा नम्बर 419 रकबा 49 बीघा गैर मुमकिन नाला सार्वजनिक सम्पदा श्री रमेश पुत्र चोथमल राणा निवासी ग्राम टोरडी तहसील मालपुरा ने इस भूमि को भू आवण्टन सलाहकार समिति की राय से अपने पक्ष में आवण्टित करा कर पहले गैर खातेदारी और बाद मे खातेदारी अधिकार प्राप्त किये गये है। राज0 टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 के तहत ऐसी भूमियों का आवण्टन प्रतिबन्धित हैं। इससे स्पष्ट है कि दिनांक 1–2–1983 को विवादित रमेश पुत्र चोथमल राणा निवासी ग्राम टोरडी तहसील मालपुरा के पक्ष में आवण्टित किया जाना राज0 टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। तहसीलदार मालपुरा का यह प्रकरण माननीय राज0 उच्च न्यायालय की डी0बी0 सिविल जनहित याचिका स0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2–8–2004 की पालना मे प्रस्तुत किया है जो स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

फलत: माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रकरण इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि रमेश पुत्र चोथमल राणा निवासी ग्राम टोरडी तहसील मालपुरा को दिनांक 1–2–1983 को खसरा नम्बर 419 में से रकबा 2.00 बीघा भूमि वाके ग्राम टोरडी मे किया गया आवंटन तथा इस आदेश की पालना मे श्री रमेश पुत्र चोथमल के नाम स्वीकार किया गया गैर खातेदारी का नामान्तकरण सं0 2240 एंव खातेदारी का नामान्तकरण सं0 3031 व0 3090 को निरस्त कर हाल आराजी खसरा नम्बर 419/1 रकबा 2.00 बीघा भूमि वाके ग्राम टोरडी तहसील मालपुरा को पुन: गैर मुमकिन नाला सिवायचक राजकीय भूमि दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

निर्णय आज दिनांक 27.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अति.जिला कलेक्टर,टोंक